



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I —खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 2019/कार्तिक 23, 1941

No. 364] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 2019/KARTIKA 23, 1941

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बजट प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2019

(i) 6.45 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2029; (ii) 6.50 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2030; (iii) 6.50 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031; (iv) 6.55 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032; (v) 6.55 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033; तथा (vi) 6.60 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2034 का निर्गमन।

फा. सं. 4(5) (डब्ल्यू एंड एम)/2019.—भारत सरकार, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 को (i) 6.45 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2029; (ii) 6.50 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2030; (iii) 6.50 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031; (iv) 6.55 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032; (v) 6.55 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033; तथा (vi) 6.60 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2034 (इसके पश्चात् संक्षिप्त रूप से 'विशेष प्रतिभूति' के रूप में उल्लिखित है) के निर्गम को एतद्वारा अधिसूचित करती है।

1. अभिदान के लिए पात्रता और अभिदान की सीमा :—

(i) इसके अनुबंध में उल्लिखित केवल भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्विजम बैंक) इन विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान करने के लिए पात्र होंगे तथा प्रतिभूतियों में उनका अभिदान अनुबंध में दर्शाई गई राशि तक सीमित रहेगा।

(ii) उपर्युक्त अनुबंध में उल्लिखित भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्विजम बैंक) के अलावा, किसी अन्य बैंक, कंपनी, कॉरपोरेशन अथवा किसी अन्य निकाय सहित कोई अन्य व्यक्ति इन विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान करने के लिए पात्र नहीं होगा।

2. निर्गम मूल्य एवं तारीख:—

(i) इन विशेष प्रतिभूतियां एक्जिम बैंक द्वारा किए गए आवेदन में इंगित किए गए अनुसार, सममूल्य राशि पर निर्गमित की जाएंगी।

(ii) इन विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम की तारीख एक्जिम बैंक से अभिदान राशि की प्राप्ति की तारीख होगी।

3. प्रतिभूति का स्वरूप :-

इन विशेष प्रतिभूतियों को लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई में अनुरक्षित एक्जिम बैंक के अनुषंगी आम बही खाते में जमा करके "स्टॉक" के रूप में निर्गमित किया जाएगा।

4. ब्याज एवं चुकौती :—

ये विशेष प्रतिभूतियां सममूल्य पर प्रत्येक प्रतिभूति के संबंध में इंगित की गई परिपक्वता की तारीख को प्रतिदेय होंगी। विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज अर्धवार्षिक अंतराल पर देय होगा, जो प्रतिभूति के निर्गमन की तारीख से परिकलित होगा। प्रतिभूति पर ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक के मुंबई स्थित लोक ऋण कार्यालय में देय होगा।

इन प्रतिभूतियों पर निम्नलिखित ब्याज दर देय होगी:

क्रम संख्या	प्रतिभूति	ब्याज दर	परिपक्वता की तारीख
1.	6.45 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2029	6.45 प्रतिशत	20 नवम्बर, 2029
2.	6.50 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2030	6.50 प्रतिशत	20 नवम्बर, 2030
3.	6.50 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031	6.50 प्रतिशत	20 नवम्बर, 2031
4.	6.55 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032	6.55 प्रतिशत	20 नवम्बर, 2032
5.	6.55 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033	6.55 प्रतिशत	20 नवम्बर, 2033
6.	6.60 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2034	6.60 प्रतिशत	20 नवम्बर, 2034

ब्याज का भुगतान निकटतम पूर्ण रुपये में पूर्णांकित करने के बाद किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ, पचास पैसे से कम राशि की ब्याज राशि को नजरअंदाज किया जाएगा और पचास और उससे अधिक पैसे की ब्याज राशि को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।

5. हस्तांतरणीयता एवं परिवर्तन:—

यह विशेष प्रतिभूति हस्तांतरणीय नहीं होगी तथा प्रतिभूति को किसी भी अन्य रूप में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।

6. सांविधिक प्रावधान:—

जहां तक किसी ऐसे विषय का संबंध है, जिसका इस अधिसूचना के तहत प्रावधान नहीं किया गया है, विशेष प्रतिभूति सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 तथा उसके तहत बनाई गई सरकारी प्रतिभूति नियमावली, 2007 द्वारा अभिशासित होगी।

7. कर कानूनों की प्रयोज्यता:—

विशेष प्रतिभूति में निवेशित राशि तथा उस पर देय ब्याज का मूल्य समय-समय पर यथा प्रयोज्य कर कानूनों के प्रावधानों के अनुसार अभिशासित किया जाएगा।

8. विशेष प्रतिभूति में निवेश की पात्रता :—

एक्जिम बैंक द्वारा विशेष प्रतिभूति में किए गए निवेश को एक पात्र निवेश के रूप में नहीं माना जाएगा जो कि निवेशकर्ता बैंक पर लागू किन्हीं सांविधिक प्रावधानों अथवा निदेशों के अनुसरण में सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाना अपेक्षित होता है।

भारत के राष्ट्रपति के आदेशानुसार,
रजत कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव

अनुबंध

(संदर्भ फा. सं. 4(5)-डब्ल्यू एंड एम/2019 दिनांक 14 नवम्बर, 2019)

भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्जिम बैंक) को (i) 6.45 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2029; (ii) 6.50 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2030; (iii) 6.50 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031; (iv) 6.55 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032; (v) 6.55 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033; तथा (vi) 6.60 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2034 प्रतिभूतियों का आबंटन।

क्र.सं.	पात्र बैंक का नाम	परिपक्वता वर्ष						आबंटित राशि (₹ करोड़)
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्जिम बैंक)	95	91	91	91	91	91	550
	कुल	95	91	91	91	91	91	550

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2019

Issue of (i) 6.45 per cent (Non-transferable) Special GoI Security, 2029; (ii) 6.50 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2030; (iii) 6.50 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2031; (iv) 6.55 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2032; (v) 6.55 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2033; and (vi) 6.60 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2034.

F. No. 4(5)-W&M/2019.—Government of India hereby notifies the issue of (i) 6.45 per cent (Non-transferable) Special GoI Security, 2029; (ii) 6.50 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2030; (iii) 6.50 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2031; (iv) 6.55 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2032; (v) 6.55 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2033; and (vi) 6.60 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2034, (hereinafter briefly described as "the Special Security") on November 20, 2019.

1. Eligibility for Subscription and Limit of Subscription:

(i) Export-Import Bank of India (EXIM Bank) as referred to in the **Annexure** hereto shall only be eligible to subscribe to the special securities and its subscription to the securities shall be limited to the extent of the amount, as shown in the Annexure.

(ii) No other person, including any bank, company, corporation or any other body except the EXIM Bank as referred to in aforesaid Annexure shall be eligible to subscribe to the special securities.

2. Price and Date of Issue:

(i) The special securities will be issued at par for the amount as per the application made by the EXIM bank.

(ii) The date of issue of the special securities will be the date of receipt of subscription amount from the EXIM bank.

3. Form of Security:

The special securities will be issued in the form of "Stock" to be held at credit of the EXIM Bank's Subsidiary General Ledger Account maintained with Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai.

4. Interest and Repayment:

The special securities shall be repayable at par on the date of maturity as indicated against each security. Interest on the special securities will be payable at half yearly intervals, reckoned from the date of issue of the security. Interest on the security will be payable at Public Debt Office of Reserve Bank of India at Mumbai.

The following rate of interest will be payable on these securities:

Sl. No.	Security	Rate of Interest	Date of maturity
1.	6.45 per cent (Non-Transferrable) Special Gol Security 2029	6.45 per cent	November 20, 2029
2.	6.50 per cent (Non-Transferrable) Special Gol Security 2030	6.50 per cent	November 20, 2030
3.	6.50 per cent (Non-Transferrable) Special GoI Security 2031	6.50 per cent	November 20, 2031
4.	6.55 per cent (Non-Transferrable) Special GoI Security 2032	6.55 per cent	November 20, 2032
5.	6.55 per cent (Non-Transferrable) Special Gol Security 2033	6.55 per cent	November 20, 2033
6.	6.60 per cent (Non-Transferrable) Special Gol Security 2034	6.60 per cent	November 20, 2034

Interest will be paid after rounding off to the nearest whole rupee. For this purpose, amount of interest less than fifty paise will be ignored and amount of fifty paise and more will be rounded off to the next rupee.

5. Transferability and Conversion:

The special security shall not be transferable and conversion in any other form of security shall not be permitted.

6. Statutory Provisions:

With respect to any such matter which has not been provided under this Notification, the special security shall be governed by the Government Securities Act, 2006 and the Government Securities Rules, 2007 framed there under.

7. Applicability of Tax Laws:

The value of the investment in the special security and the interest payable thereon will be governed by the provisions of tax laws as applicable from time to time.

8. Eligibility of Investment in Special Security:

The investment in the special security by the EXIM bank would not be considered as an eligible investment which it is required to make in Government securities in pursuance of any statutory provisions or directions applicable to the investing bank.

By Order of the President of India
RAJAT KUMAR, MISHRA, Jt. Secy.

Annexure

(Ref F. No. 4(5)-W&M/2019 dated November 14, 2019)

Allocation of Securities to EXIM Bank, (i) 6.45 per cent (Non-transferable) Special Gol Security, 2029; (ii) 6.50 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2030; (iii) 6.50 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2031; (iv) 6.55 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2032; (v) 6.55 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2033; and (vi) 6.60 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2034.

Sl.No.	Name of Eligible Bank	Year of Maturity of the Security						Amount Allocated (₹ crore)
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	Export-Import Bank of India (EXIM Bank)	95	91	91	91	91	91	550
	Total	95	91	91	91	91	91	550